



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262689  
CG-DL-E-25042025-262689

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 223]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 262(अ).— केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 26 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 729 (अ) के अधिक्रमण में, एतद्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1) (ग) (i) के अंतर्गत श्री विधान चन्द्रे, ओएस (एसएजी) सरकार के अपर सचिव, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग, ओडिशा सरकार को श्री संजय कुमार मिश्रा, आईआरटीएस, विशेष सचिव, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग, ओडिशा सरकार के स्थान पर पारादीप पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-पार्ट(1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2025

**G.S.R. 262(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No.729 (E) dated 26<sup>th</sup> September, 2022, the Central Government hereby appoints Shri Bidhan Chandra Ray, OAS (SAG), Additional Secretary to Government, Commerce & Transport Department, Govt. of Odisha, in place of Shri Sanjay Kumar Mishra, IRTS, Special Secretary, Commerce & Transport Department, Government of Odisha, as a representative of State Govt. on the Board of Paradip Port Authority under Section 3 (1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.